फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

रेवन्ताराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः—88—209 आरटीए 1955 प्रकरण संख्याः—53 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2024	उभय पक्ष उपिस्थत। योग्य अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 2 बीएनएम प0न0 16 / 42 कि0न0 16,24,25 / 3—00 बीघा, प0न0 36 / 10 कि0न0 1 ता 16,20 / 17—00 बीघा कुल 20—00 बीघा भूमि जरिये मिसल नं0 273 दिनांक 27.12.1975 यानि सम्वत् 2031 को भूमिहीन श्रेणी में न्यायालय ए.सी.सी आरसीपी द्वारा कीमतन आंवटन की गई थी। जैरवाद रकबा में से प0न0 36 / 10 कि0न0 3 / 0—02 बिस्वा, 4 / 0—15 बिस्वा, 5 / 0—04 बिस्वा, 6 / 0—10 बिस्वा, 7 / 0—01 बिस्वा रकबा वीरमाना माईनर में चला गया। शेष रकबा पर वादी का आंवटन के दिन से लगातार कब्जा चला आ रहा हैं। जो आज भी कायम है। परन्तु उपनिवेशन विभाग द्वारा गिरदावरी सम्वत् 2035 से 2038 बनाते समय बिना किसी सक्षम अधिकारी कि आदेश के जैर वाद रकबा में से प0न0 36 / 10 कि0न0 4,5,6 / 0.759 है0 का अंकन गिरदावरी के कॉलम सं0 1 में दर्ज होने से रह गया। दिनांक 31.03.1986 को उपनिवेशन विभाग के समापन होने पर सर्वप्रथम जमाबंदी सम्वत् 2042 में बनी। सम्वत् 2042 बनाते समय भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिना रिकार्ड व मौका की जांच किये पूर्व के रिकार्ड अनुसार वादी को जैरवाद रकबा प0न0 36 / 10 कि0न0 1,2 / 2—00 बीघा, 3 / 0—18 बिस्वा, 7 / 0—15 बिस्वा, 8 ता 14 / 7—00 बीघा, 15 / 0—13 बिस्वा, 16 / 1—00 बीघा, 20 / 1—00 बीघा कुल 13—04 बीघा का भूमिहीन दर्ज कर दिया गया। उसी अनुसार कार्यालय जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सनद सं0 045334 दिनांक 23.09.1992 को जारी की दी गई। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। वर्तमान में वादी चक 2 बीएनएम प0न0 36 / 10 कि0न0 1 / 2 में 0.240 है0, 2 / 0.253 है0, 3 / 1 में 0.227 है0, 7 / 1 में 0.177 है0, 8,9 / 0.506 है0, 10 / 1 में 0.240 है0, 11 / 2 में 0.240 है0, 12 ता 14 / 0.759 है0, 15 / 1 में 0.152 है0, 16 / 0.253 है0, 19 / 1 में 0.051 है0, 20 / 1 में 0.240 है0 = 3.338 है0 का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जैरवाद रकबा प0न0 36 / 10 कि0न0 3 में 0.025 है0, 4 में 0.190 है0, 5 में 0.051 है0, 6 में 0.126 है0, 7 में 0.013 है0 भूमि में से मौका पर माईनर चल रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौका की जांच किये बिना ही कृषि योग्य भूमि प0न0 36 / 10 के कि0न0 6 में 0.062 है0, 7 में 0.063 है0, 15 में 0.101 है0 रकबा नहर के नाम से दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि उक्त किलेजात कभी भी नहर को आंवटन नही थे एवं ना ही इन किलेजात में नहरी चल रहा है। उक्त किलेजात वादी को सक्षम न्यायालय द्वारा आंवटन हैं एवं आंवटन के दिन से ही वादी इन किलेजात की भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं। अतः वादी नहर के नाम से दर्ज आंवटन शुदा रकबा को नहर के नाम से कलमजन करवाकर अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने की घोषणा पाने का हकदार है। वादी आंवटन के दिन से ही जैरवाद रकबा प0न0 36 / 10 कि0न0 1 / 0.240 है0, 2 / 0.253 है0, 3 में 0.228 है0, 4 / 0.063 है0, 5 / 0.202 है0, 6 / 0.127 है0, 7 में 0.240 है0, 8,9 / 0.506 है0, 10 में 0.240 है0, 11 में 0.240 है0, 12 ता 14 / 0.759 है0, 15 में 0.253 है0, 16 / 0.253 है0, 19 / 0.051 है0, 20 में 0.240 है0 = 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इसी अनुसार वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौका की जांच किये बिना एवं वादी के आंवटन आदेश दिनांक 27.12.1975 का अवलोकन किये बिना ही दुरूस्ती के काबिल सम्वत् 2035 की गिरदावरी के अनुसरण में वादी को चक 2 बीएनएम प0न0 36 / 10 कि0न0 1 / 2 में 0.240 है0, 2 / 0.253 है0, 3 / 1 में 0.227 है0, 7 / 1 में 0.177 है0, 8,9 / 0.506 है0, 10 / 1 में 0.240 है0, 11 / 2 में 0.240 है0, 12 ता 14 / 0.759 है0, 15 / 1 में 0.152 है0, 16 / 0.253 है0, 19 / 1 में 0.051 है0, 20 / 1 में 0.240 है0 = 3.338 है0 का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है शेष कि0न0 4 / 0.063 है0, 5 / 0.202 है0, 6 / 0.127 है0, 7 में 0.063 है0, 15 में 0.101 है0 रकबा वादी के नाम से खातेदार दर्ज होने से रह गया।	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

[redacted].02.2024

वादी घोषणात्मक दावे के माध्यम से चक 2 बीएनएम प0न0 36/10 कि0न0 4/0.063 है0, 5/0.253 है0, 6/0.063 है0 कुल 0.379 है0 भूमि को राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी व गिरदावरी में आरजी दर्ज करवाते हुये स्वयं को कि0न0 4/0.063 है0, 5/0.202 है0, 6/0.127 है0, 7/0.240 है0 का खातेदार कृषक होने तथा कि0न0 5/0.051 है0, 6/0.126 है0, 7/0.013 है0 रकबा नहर के नाम दर्ज करने की घोषणा पाने का हकदार है। उक्त घोषणा के पश्चात् नहर के नाम से दर्ज 15/0.101 है0 रकबा तथा कि0न0 6/0.190 है0 में से 0.064 है0 रकबा कम कर वादी के नाम से खातेदारी दर्ज किया जावें। वादी वृद्व व्यक्ति तथा पेशा खेती है। वृद्वावस्था के कारण कही पर आने जाने के लिये सक्षम नही होने के कारण भूमि में रहकर ही भूमि की देखभाल करता हैं तथा कृषि कार्य हेतु भूमि को अपने पुत्रो में बंटवारा कर रखा है। जिसे वादी के पुत्र काश्त करते है। राजस्व रिकार्ड की वादी एवं उनके पुत्रो को कोई जानकारी कभी भी नही रही हैं एवं ना ही किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी गई है। प्रशासन ग्राम के संग कैम्प वीरमाना में वादी द्वारा कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आंवटन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। अतः राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाना होगा। तब वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट चाही गई। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु अनुशंषा की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 08.02.2022 संलग्न वाद पत्र है। वादी द्वारा दिनांक 10.02.2022 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ तहसील सूरतगढ में पीठासीन अधिकारी श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ से दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर श्रीमान तहसीलदार द्वारा क्षैत्राधिकार का हवाला देते हुये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष वाद प्रस्तुत करने हेतु मूल प्रार्थना पत्र लौटाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती हेतु मना कर दिया। प्रतिवादी का यही कथन वादपत्र पेश करने का मुख्य कारण है। अतः वादी का वादपत्र काबिल स्वीकार योग्य है।

बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद हैं कि वादी को तहसील सूरतगढ के चक 2 बीएनएम प0न0 16/42 कि0न0 16,24,25/3–00 बीघा, प0न0 36/10 कि0न0 1 ता 16,20/17–00 बीघा कुल 20–00 बीघा भूमि जरिये मिसल नं0 273 दिनांक 27.12.1975 यानि सम्वत् 2031 को भूमिहीन श्रेणी में न्यायालय ए.सी.सी आरसीपी द्वारा कीमतन आंवटन की गई थी। सम्वत् 2042 बनाते समय भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिना रिकार्ड व मौका की जांच किये पूर्व के रिकार्ड अनुसार वादी को जैरवाद रकबा प0न0 36/10 कि0न0 1,2/2–00 बीघा, 3/0–18 बिस्वा, 7/0–15 बिस्वा, 8 ता 14/7–00 बीघा, 15/0–13 बिस्वा, 16/1–00 बीघा, 20/1–00 बीघा कुल 13–04 बीघा का भूमिहीन दर्ज कर दिया गया। जबकि भूप्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में बदलाव करने का क्षैत्राधिकार नही था। मुताबिक तहसील रिपोर्ट से भी साबित हैं कि मौके पर नहर प0न0 36/10 कि0न0 3/2/0.025 है0, 4/2/0.190 है0, 5/2/0.051 है0, 6/1 में 0.126 है0, 7/2 में 0.013 है0 कुल 0.405 है0 में नहर चल रही हैं जिसे नहर के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था एवं वादी को आंवटन अनुसार प0न0 36/10 कि0न0 1/0.240 है0, 2/0.253 है0, 3/1/0.228 है0, 4/1/0.063 है0, 5/1/0.202 है0, 6/2/0.127 है0, 7/2/0.240 है0, 10/1/0.240 है0, 11/1/0.240 है0, 12 ता 14/0.759 है0, 15/0.253 है0, 16/0.253 है0, 20/1/0.253 है0 कुल 3.844 है0 का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। जो कि वादी के नाम दर्ज नही किया गया हैं। प0न0 36/10 कि0न0 4/0.063 है0, 5/0.202 है0, 6/0.127 है0 कुल 0.392 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हैं जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। ऐसी सूरत में वादी का वादपत्र स्वीकार करना हम उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

8.02.2024

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता हैं राजस्व रिकार्ड में चक 2 बीएनएम प0न0 36/10 कि0न0 4/0.063 है0, 5/0.202 है0, 6/0.127 है0 कुल 0.392 है0 भूमि आराजीराज दर्ज कर वादी को चक 2 बीएमएन प0न0 36/10 कि0न0 1/0.240 है0, 2/0.253 है0, 3/1/0.228 है0, 4/1/0.063 है0, 5/1/0.202 है0, 6/2/0.127 है0, 7/2/0.240 है0, 10/1/0.240 है0, 11/1/0.240 है0, 12 ता 14/0.759 है0, 15/0.253 है0, 16/0.253 है0, 20/1/0.253 है0 कुल 3.844 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं, प0न0 36/10 कि0न0 19/0.051 है0 का अंकन वादी के नाम यथावत् रखा जावें एवं इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में प0न0 36/10 कि0न0 3/2/0.025 है0, 4/2/0.190 है0, 5/2/0.051 है0, 6/1 में 0.126 है0, 7/2 में 0.013 है0 कुल 0.405 है0 भूमि नहर के नाम से दर्ज की जावें। तद्नुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को सरे इजलास सुना गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:पर्चा डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(बइजलास : श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.)

–अनवान–

श्री रेवन्ताराम पुत्र श्री गोमन्दराम जाति कुम्हार निवासी वीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

.............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ

.........प्रतिवादी

वादपत्र धारा 88,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं0 53 वर्ष 2022 में यह मुकदमा पेश होने पर पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत, प्रतिवादी स्वयं हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी जारी की जाती हैं कि:–

वाके चक 2 बीएनएम प0न0 36/10 कि0न0 4/0.063 है0, 5/0.202 है0, 6/0.127 है0 कुल 0.392 है0 भूमि आराजीराज दर्ज कर वादी को चक 2 बीएमएन प0न0 36/10 कि0न0 1/0.240 है0, 2/0.253 है0, 3/1/0.228 है0, 4/1/0.063 है0, 5/1/0.202 है0, 6/2/0.127 है0, 7/2/0.240 है0, 10/1/0.240 है0, 11/1/0.240 है0, 12 ता 14/0.759 है0, 15/0.253 है0, 16/0.253 है0, 20/1/0.253 है0 कुल 3.844 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं, प0न0 36/10 कि0न0 19/0.051 है0 का अंकन वादी के नाम यथावत् रखा जावें एवं इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में प0न0 36/10 कि0न0 3/2/0.025 है0, 4/2/0.190 है0, 5/2/0.051 है0, 6/1 में 0.126 है0, 7/2 में 0.013 है0 कुल 0.405 है0 भूमि नहर के नाम से दर्ज की जावें। डिकी अुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है।

नोज............×......... मुबलिग..........×...........बाबत............×............ खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह......... ×............फस्दो की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.02.2024.......... को जारी किया गया ।

सूरतगढ

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

—:संशोधित परचा डिक्री:—

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

रेवन्ताराम पुत्र श्री गोमन्दराम जाति कुम्हार निवासी वीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0। ....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ....प्रतिवादी

वादपत्र धारा 88–209 आरटीए मुकदमा नं0 53 वर्ष 2022 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत, प्रतिवादी स्वयं हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व संशोधित डिक्री जारी की जाती हैं कि:—

वाके चक 2 बीएनएम प0न0 36/10 कि0न0 4/0.063 है0, 5/0.202 है0, 6/0.127 है0 कुल 0.392 है0 भूमि अराजीराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर वादी को चक 2 बीएनएम प0न0 36/10 कि0न0 1/0.240 है0, 2/0.253 है0, 3/1/0.228 है0, 4/1/0.063 है0, 5/1/0.202 है0, 6/2/0.127 है0, 7/2/0.240 है0, 8,9/0.506 है0, 10/1/0.240 है0, 11/1/0.240 है0, 12 ता 14/0.759 है0, 15/0.253 है0, 16/0.253 है0, 20/1/0.240 है0 कुल 3.844 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं, प0न0 36/10 कि0न0 19/0.051 है0 का अंकन वादी के नाम यथावत् रखा जावें एवं इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में प0न0 36/10 कि0न0 3/2/0.025 है0, 4/2/0.190 है0, 5/2/0.051 है0, 6/1 में 0.126 है0, 7/2 में 0.013 है0 कुल 0.405 है0 भूमि नहर के नाम से दर्ज की जावें। डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज..........×............. मुबलिग..........×.............बाबत..........×............. खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..........×.............फस्दो की पालना ....×.............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08:02:2024 को जारी किया गया ।

सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़